


Office of the District Collector, Chamoli
District-Chamoli (Uttarakhand)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee
constituted under Schedule Tribe and Other Traditional Forest
Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006

A meeting of the District Level Committee of Chamoli District (Uttarakhand) constituted under FRA 2006 was held under the Chairmanship of Shri Vinod Kumar Suman (IAS), District Magistrate, Chamoli (Uttarakhand) on 23-03-17 at 3:00 PM Chamoli in which the application claiming rights in **Nagar Palika Area Joshimath Tehsil** area measuring 1.149 Hectares for the **Augmentation of Source (Long Terms) Water supply scheme Joshimath** of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub-Division Level Committee of **Joshimath Tehsil** were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion no objection/claim were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion of the land for such purpose.


23-03-17
District Magistrate-cum-
Chairman District Level
Committee Chamoli



62

FORM-1
(For Linear Projects)
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Chamoli

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN


Dated-
23/03/17

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter 11-9/98-FG (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and others Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.149 Hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Peyjal Nigam Gopeshwar for Construction of **Augmentation of Source (Long Term) Water supply scheme Joshimath Chamoli district** falls within jurisdiction of village **Nagar Palika area Joshimath Tehsil.**

It is further certified that

- (a) The completed process identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.149 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meeting of the Forest Right Committee(s) Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The diversion of Forest Land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA has been completed and the Gram Sabha(s) have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl. As above

Signature 
(Vinod Kumar Suman (IAS))



प्रपत्र - 23.2




परियोजना का नाम: - जोशीमठ श्रोत संवर्धन पेयजल योजना (दीर्घकालीन)

कार्यालय उप जिलाधिकारी, जोशीमठ
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत
प्रमाण - पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, जोशीमठ

उपखण्ड जोशीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जोशीमठ श्रोत संवर्धन पेयजल योजना (दीर्घकालीन)

के निर्माण हेतु (1:149 हे० आरक्षित वन भूमिहे० सिविल एवं सोयम वन भूमि हे० वन पंचायत भूमि अर्थात कुल 1:149 हे० वन भूमि) का पेयजल योजना हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जोशीमठ) की दिनांक 07-01-2016 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही कर विवरण: -

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री योगेन्द्र सिंह उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्र०स०	अधिकारी/कर्मचारियों का नाम	पद का नाम	समिति द्वारा चयनित	मुहर/हस्ताक्षर
1.	श्री योगेन्द्र सिंह	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	 उप जिलाधिकारी
2.	श्री सर्वेश कुमार दुबे	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	 उप प्रभागीय वनाधिकारी नन्दादेवी राष्ट्रीय पार्क
3.	श्री उमेश चन्द्र	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव	 जोशीमठ सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4.	श्री नितिन श्याम	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य	 सहायक समाज कल्याण अधिकारी

(64)

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जोशीमठ श्रोत संवर्धन पेयजल योजना (दीर्घकालीन) परियोजना हेतु 1.1.14. हे0 वन भूमि पेयजल योजना हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी श्री सर्वेश कुमार दुबे द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्संबंधी नियम 2008 के प्रावधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दाव/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड जोशीमठ परिक्षेत्र के अन्तर्गत जोशीमठ श्रोत संवर्धन पेयजल योजना (दीर्घकालीन) परियोजना के निर्माण हेतु 1.1.14. हे0 वन भूमि पेयजल योजना हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने के सहमति व्यक्त की गयी।


07/01/14

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - जोशीमठ
जनपद - चमोली

प्रतिलिपि: जिलाधिकारी चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील - जोशीमठ
जनपद - चमोली

